समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांकः बी0–109–103(0001)/2012–33/आ0 दिनांकः 10.09.2012 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राप्त शीर्ष 2015–निर्वाचन–103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण–0001– विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 13 01 की कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत मो0 1,12,377.00 (एक लाख बारह हजार तीन सौ सतहत्तर) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कार्यालय व्यय		
		पूर्व में प्राप्त आवंटन	वर्त्तमान में प्राप्त आवंटन	कुल
1	2	3	4	
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	12000.00	0.00	12000.00
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर	12000.00	0.00	12000.00
3	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर	12000.00	0.00	12000.00
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	620000.00	0.00	620000.00
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	190000.00	0.00	190000.00
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा	245000.00	0.00	245000.00
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	385000.00	0.00	385000.00
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	400000.00	0.00	400000.00
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	190000.00	0.00	190000.00
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज	145000.00	0.00	145000.00
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	175000.00	0.00	175000.00
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	145000.00	0.00	145000.00
13	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	887500.00	112377.00	999877.00
	योगः–	3418500.00	112377.00	3530877.00

2. शीर्ष 2015–निर्वाचन–103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण – 0001– विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 13 01 की कार्यालय व्यय एवं 11 01 यात्रा व्यय इकाई अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या–06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड– एन 2015001030001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः एम–4–05/98/2561 वि0(2) दिनांकः 17.04.1998 एवं पत्रांकः 4201/वि0(2) दिनांकः 12.04.2012 के आलोक में आवंटित है।

Sujay_ 2015_06_2015001030001_33Aa_11.09.2012

5. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का मतलब व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। यह सुनिश्चित करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7. यह राशि जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर के पत्रांकः 294/नि0, दिनांकः 01.08.2012 के आलोक में पूर्व के वित्तीय वर्ष के बकाया के भुगतान हेतु आवंटित है। यह सुनिश्चित करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

8. उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में किसी स्तर पर ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जायेगी।

9. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।

10. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के उपरान्त् ही भुगतान किया जाय।

11. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः ..../नि0, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 384/नि0, दिनांकः 17.09.12

प्रतिलिपिः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांकः 384/नि0, दिनांकः 17.09.12

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

15/09/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।